कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 9(स्काउट)अकाद/निकाशि/09/284 दिनांकः 17 जुलाई, 2012

प्राचार्य,
राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः महाविद्यालय में रोवरिंग/रेजरिंग गतिविधियों को प्रारम्भ करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण की बिन्दु संख्या 151 के अनुसार सत्र 2012–13 में 10 हजार राजकीय/निजी महाविद्यालयों में नवीन यूनिट खोले जाने की घोषणा की है। इसकी अनुपालना में समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालयों में एक व्याख्याता को प्रशिक्षित करवाकर अपने महाविद्यालय में ग्रुप प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें। आपके महाविद्यालय से किसी एक महिला/एक पुरुष व्याख्याता को अगस्त/सितम्बर 2012 में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाईड मण्डल एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षित करवाकर रोवरिंग/रेजरिंग गतिविधियों प्रारम्भ करवायें। इसकी प्रगति से प्रतिमाह स्काउट एवं गाईड मुख्यालय को अवगत कराकर प्रति निदेशालय को प्रेषित करें।

संभागियों को यात्रा व्यय का भुगतान स्काउट एवं गाईड संगठन द्वारा संगठन के नियमानुसार देय होगा।

भवदीय,

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 9(स्काउट)अकाद/निकाशि/09/284 दिनांकः 17 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. राज्य सचिव, राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाईड, जयपुर को उनके पत्रांकः 5449 दिनांकः 02.07.2012 के संदर्भ में।
2. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, बेवसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

समन्वयक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर